पत्र संख्या–4/पी03–10–2/2014, गृ0आ0............

बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

09 DEC 2014

प्रेषक,

कृष्ण मुरारी प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित X

द्वाराः– X वित्त विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांकः–...................

विषयः राज्य आपदा रिस्पॉन्स बल (SDRF) में विभिन्न श्रेणी के स्वीकृत पदों के विरुद्ध बिहार मिलिटरी पुलिस में 30 निरीक्षक (सशस्त्र), 75 अवर निरीक्षक (सशस्त्र), 18 अवर निरीक्षक (संचार) रेडियो ऑपरेटर, 05 सहायक अवर निरीक्षक (आशु लिपिक), 191 हेड कांस्टेबल (ग्राउंड ड्यूटी/रेडियो ऑपरेटर), 86 हेड कांस्टेबल (चालक) एवं 525 कांस्टेबल सहित कुल 930 छायापदों के सृजन के संबंध में।

आपदाओं की दृष्टि से बिहार देश का अति आपदा प्रवण राज्य है। अपनी विशेष भौगोलिक संरचना के कारण बिहार राज्य प्रायः प्रत्येक वर्ष किसी न किसी प्राकृतिक आपदा से आक्रांत होता रहता है। आपदाओं के आने पर प्रभावितों के खोज, बचाव एवं राहत कार्यों के लिए त्वरित रिस्पॉस के उद्देश्य से राज्य में NDRF के पैटर्न पर राज्य आपदा रिस्पांस बल (SDRF) की एक बटालियन की स्वीकृति आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प संख्या 698 दिनांक 16.03.2010 के द्वारा दी गई है। बटालियन में कुल 18 रैंक के 1157 पद सृजित हैं। सुयोग्य श्रेणी के कर्मियों के उपलब्ध न हो पाने के कारण वर्तमान में 50% से अधिक पद रिक्त चले आ रहे हैं।

2. SDRF के रिक्त पदों को भरने के उद्देश्य से SDRF में विभिन्न श्रेणी के स्वीकृत पदों के विरुद्ध बिहार सैन्य बल (BMP) में पद सृजन करने के लिए दिनांक 04.03.2014 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आपदा प्रबंधन विभाग की पहल पर आहूत की गयी थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि SDRF में स्वीकृत जो–जो पद BMP की संरचना में उपलब्ध है, उन पदों को गृह विभाग द्वारा निर्धारित संख्या में BMP में स्वीकृत कर लिया जाए। इस प्रकार स्वीकृत पदो के विरुद्ध आपदा प्रबंधन विभाग की अधियाचना पर उपयुक्त उम्र के युवा कार्मिकों को 5–5 वर्ष के लिए SDRF में प्रतिनियुक्ति के आधार पर भेजा जाएगा। प्रतिनियुक्त कर्मियों को स्वीकृत वेतन एवं भत्तों के अलावा वित्त विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या– 12423/वि0 (2) दिनांक 31.12.2009 के द्वारा निर्धारित प्रतिनियुक्ति भत्ता देय होगा। BMP की किन–किन

बटालियनों में ये पद वितरित किए जाएंगे, से संबंधित निर्णय पुलिस महानिदेशक अपने स्तर से लेंगे।

3. SDRF में BMP से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति होने से निम्नांकित फायदे होंगे यथा:–

(i) SDRF को उपयुक्त उम्र वर्ग के स्वस्थ कर्मी BMP से प्राप्त होते रहेंगे।

(ii) ऐसे कर्मी पूर्व से ही प्रशिक्षित एवं अनुशासित होंगे इसलिए उन्हें केवल आपदा रिस्पांस की बेसिक ट्रेनिंग देना ही आवश्यक होगा।

(iii) SDRF में प्रतिनियुक्त बल का विशेष परिस्थिति में त्वरित एवं सरल प्रतिस्थापन संभव होगा।

(iv) प्रतिनियुक्ति की अवधि 5 वर्षों की होगी एवं प्रतिनियुक्ति के उपरांत उन्हें वापस कर उनके स्थान पर नए कर्मी ले लिए जाएंगे। इसलिए SDRF के कर्मी सामान्यतः युवा होंगे।

(v) 5 वर्षों के बाद BMP में वापस कर्मियों को आपदा प्रबंधन में प्राप्त प्रशिक्षण एवं अनुभव का लाभ उनके पैतृक बल को मिलता रहेगा।

(vi) प्रतिनियुक्त कर्मियों को प्रोन्नति आदि में सेवा संबंधी लाभ पूर्ववत प्राप्त होते रहेंगे, जिससे कार्य के प्रति उनका मनोबल बना रहेगा।

4. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में निम्न तालिका के अनुसार SDRF में विभिन्न श्रेणी के स्वीकृत कुल 930 पद हैं, जो लगभग समतुल्य नामों से BMP की संरचना में शामिल हैं :–

क0	SDRF में स्वीकृत पद का नाम	पदों की संख्या	BMP में समतुल्य नाम
1	निरीक्षक (कार्यपालक)	30	निरीक्षक (सशस्त्र)
2	अवर निरीक्षक (कार्यपालक)	75	अवर निरीक्षक (सशस्त्र)
3	अवर निरीक्षक (संचार–रेडियो ऑपरेटर)	18	अवर निरीक्षक (संचार) रेडियो ऑपरेटर
4	सहायक अवर निरीक्षक (आशुलिपिक)	5	सहायक अवर निरीक्षक (आशुलिपिक)
5	हेड कांस्टेबल (ग्राउंड ड्यूटी/ रेडियो ऑपरेटर)	191	हेड कांस्टेबल (ग्राउंड ड्यूटी/ रेडियो ऑपरेटर)
6	हेड कांस्टेबल (चालक–सह–मोटरबोट, चालक)	86	हेड कांस्टेबल (चालक)
7	कांस्टेबल	525	कांस्टेबल
	कुल	930	

5. अतएव SDRF में सृजित विभिन्न श्रेणी के पदों को BMP में समतुल्य नामों के विभिन्न श्रेणी यथा 30 निरीक्षक (सशस्त्र), 75 अवर निरीक्षक (सशस्त्र), 18 अवर निरीक्षक

(संचार) रेडियो ऑपरेटर, 05 सहायक अवर निरीक्षक (आशु लिपिक), 191 हेड कांस्टेबल (ग्राउंड ड्यूटी/रेडियो ऑपरेटर), 86 हेड कांस्टेबल (चालक) एवं 525 कांस्टेबल सहित कुल 930 पदों का सृजन किया जाता है जिन्हें BMP के विभिन्न बटालियनों में पुलिस महानिदेशक, बिहार द्वारा वितरित किया जाएगा एवं स्वीकृत पदो के विरूद्ध आपदा प्रबंधन विभाग की अधियाचना के अनुसार इन्हें 5–5 वर्षों की प्रतिनियुक्ति पर SDRF में भेजा जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग इन्हें SDRF में समतुल्य पदों पर पदस्थापित करेगा। उक्त पदों का सृजन निम्न पे बैण्ड एंव ग्रेड–पे में किया गया है:–

क्र0	पदनाम	पदों की संख्या	पे–बैण्ड	ग्रेड–पे0
1	निरीक्षक (सशस्त्र)	30	9300– 34800	4600
2	अवर निरीक्षक (सशस्त्र)	75	9300– 34800	4200
3	अवर निरीक्षक (संचार) रेडियो ऑपरेटर	18	9300– 34800	4200
4	सहायक अवर निरीक्षक (आशुलिपिक)	5	5200– 20200	2800
5	हेड कांस्टेबल (ग्राउंड ड्यूटी/ रेडियो ऑपरेटर)	191	5200– 20200	2400
6	हेड कांस्टेबल (चालक)	86	5200– 20200	2400
7	कांस्टेबल	525	5200– 20200	2000

कुल पदों की संख्या– 930

6. उपरोक्त पदों के सृजन पर होने वाले आकलित आवर्त्तक वार्षिक व्यय– रु0 465453172/–(छियालीस करोड़ चौवन लाख तिरपन हजार एक सौ बहत्तर) रुपये मात्र है। इस आर्वतक व्यय का वहन मांग संख्या–22, बजट शीर्ष 2055–पुलिस–लघु शीर्ष–104–विशेष पुलिस–उपशीर्ष–0002– पैदल सैन्य पुलिस एवं विपत्र कोड संख्या– एन0– 2055001040002 के अंतर्गत विकलनीय होगा। इस राशि का निकासी संबंधित जिला के जिला कोषागार से किया जायेगा। इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित वाहिनी के समादेष्टा होंगे। **(व्यय विवरणी संलग्न है)**

7. उपर्युक्त पदो के सृजन में प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति दिनांक 02.09.2014 की बैठक में प्राप्त है, जिसमें उल्लेख है कि "दिनांक 06.02.2013 को सम्पन्न प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक (जो वित्त विभागीय ज्ञापांक–1601, दिनांक–19.02.2013 द्वारा निर्गत है) के मद सं0–04 के द्वारा स्वीकृत किये गये पदों की संख्या (43761) के अन्तर्गत पदों के सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत। इसके लिए विभागीय संकल्प सं0–1811, दिनांक– 06.03.2013 द्वारा स्वीकृत्यादेश निर्गत है। इस प्रकार कंडिका–5 में उल्लिखित पद एवं वार्षिक अनुमानित व्यय राशि विभागीय संकल्प सं0–1811, दिनांक 06.03.2013 द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश में समाहित है।

8. इसमें वित्त विभाग एवं मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

अनुलग्नक:– यथोक्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव
गृह (आरक्षी) विभाग

ज्ञापांक– 4/पी03–10–02/2014 गृ0आ0......10083.....पटना, दिनांक–......8/12/14.

प्रतिलिपिः पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ~~आपदा~~ प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय), बिहार, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार, सैन्य पुलिस, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रक्षेत्रिय पुलिस महानिरीक्षक, बिहार, पटना/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी समादेष्टा, बिहार, पटना/ मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान आप्त सचिव, गृह विभाग, बिहार,पटना/सभी जिला कोषागार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/12/14

सरकार के अवर सचिव
गृह (आरक्षी) विभाग